

बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस को मानिकपुर-बांदा लखनऊ एक्सप्रेस में बदलना

4039. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस (मध्य रेलवे) रेलगाड़ी को मानिकपुर-बांदा-लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बदलना संभव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना अतिरिक्त धन खर्च होगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 109 डाउन । 110 अप लखनऊ-बांदा एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन क्षेत्र मानिकपुर तक बढ़ाने और मानिकपुर से चलाने के लिये न तो यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य है और न मानिकपुर स्टेशन पर अपेक्षित लाइन क्षमता और पर्यन्त सुविधाओं के अभाव में परिचालनिक दृष्टि से ऐसा करना व्यावहारिक ही है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Travelling Ticket Examiner of Kacheguda (Andhra Pradesh)

4040. SHRI TENNETI VISWANATHAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Travelling Ticket Examiner of Kacheguda (Andhra Pradesh) charged and collected excess fare from a Vigilance Inspector of the South Central Railway on the 13th February 1969 when the said Inspector was unauthorisedly taking his children in a 1st class compartment;

(b) whether the Travelling Ticket Examiner reported the same to higher authorities; and

(c) the action taken against the Vigilance Inspector and what is the protection given to the Travelling Ticket Examiner, who as a consequence of discharging his duty, was threatened by the Vigilance Inspector with dire consequences?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) The action to be taken against Vigilance Inspector is under consideration. As regards the second part of this question, no such complaint has been received. The interests of the Travelling Ticket Examiner concerned will however, be looked after by the Railway Administration.

शुनशुन वाला कम समूह

4041. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री बंश नारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 26 अगस्त, 1969 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5035 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुनशुनवाला कम समूह बम्बई के बारे में इस बीच कोई जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समूह की कमी में लगाई गई पूंजी का व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें ऋण के रूप में दी गई धन राशि का व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री कच्छरुबदीन अली अहमद) :

(क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, निम्न-लिखित कम्पनियों, शुनशुनवाला समूह (बम्बई) से संबंधित प्रतीत हुई है :-

1. शुनशुनवाला-हारबोस लि०

2. मकैन्जांज लि०
3. नेशनल इन्डिया ट्रेडर्स (प्रा०) लि०
4. ग्रौरियन्टर टिम्बर ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्रा०) लि०
5. पल्प्स इन्डस्ट्रीज लि०
6. रैयन पल्प मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०

इस समूह का वर्णन न तो एकाधिकार जांच कमीशन द्वारा और न औद्योगिक नीति अनुज्ञापन जांच समिति द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना संग्रह की जा रही है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

• लाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग तथा आरक्षण की मिश्रित प्रणाली

4042. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री 19 अगस्त, 1969 के अतारहित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बुकिंग तथा आरक्षण की मिश्रित प्रणाली आरम्भ करने सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर बुकिंग तथा आरक्षण एक ही खिड़की पर करने की बजाय दो खिड़कियों पर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जनता का समय बरबाद होता है और कर्मचारियों की कार्य कुशलता का ह्रास होता है ;

(ग) क्या सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय करेगी और यदि हां. तो कब ; और

(घ) अब तक निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं।

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जो हां।

(ख) जो हां। इलाहाबाद स्टेशन की अलग अलग खिड़कियों पर टिकट देने और आरक्षण करने के कारण कुछ अमृविधा होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) और (घ) इलाहाबाद स्टेशन पर टिकट देने और स्थान आरक्षित करने की मिली-जुली व्यवस्था करने से पहले पूछताछ कार्यालय की इमारत में कुछ परिवर्तन करने होंगे। जैसे ही परिवर्तन हो जायेंगे, नयी प्रणाली लागू कर दी जायेगी।

लूटपाट रोकने के लिए चलती गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था

4043. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री झा० सुन्दर लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों में लूटपाट की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये गाड़ियों में मशस्त्र पुलिस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को पहले किस रेलवे में लागू किया जायेगा और इस प्रोजेक्ट के लिये आरम्भ में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) रेलों पर अपराधों को रोकने के लिये आवश्यक मूल्यांकन किया जाता है ताकि इसे समाप्त करके लिये उपाय निकाले जा सकें। रात की महत्वपूर्ण गाड़ियां उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के राज्यों में मशस्त्र पुलिस के पट्टे में भेजी जा रही हैं।